अनुसूचित जातियों के सामाजिक समावेशन की चुनौतियाँ एवं संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन

डॉ. यतीन्द्र मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजकार्य विभाग,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी

अध्ययन का परिणाम :

प्रस्तुत अध्ययन अनुसूचित जातियों के सामाजिक समावेशन हेतु संवैधानिक प्रावधानों की स्थिति का आकलन करने से सम्बन्धित है जिसमें उनकी विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु बनाये गये संवैधाानिक कानूनों के क्रियान्वयन एवं इसका उनके सामाजिक समावेशन पर प्रभाव को मूल्यांकित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम से यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के सामाजिक समायोजन में अनेक बाधाएँ हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संरचना की जटिलता, गाँवों में विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों अनुसूचित जातियों की भागीदारी न होना, विभिन्न पूजा–पाठ एवं अन्य अनुष्ठानों के लिए उन्हें अयोग्य माना जाना एवं विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उन्हें अयोग्य मानना एक प्रमुख चुनौती है। यद्यपि इसके लिए विभिन्न संवैधानिक उपबन्ध बनाये गये हैं, कानून लागू किये गये हैं, सजा निर्धारित की गयी है, इसके बावजूद भी इनके प्रति जागरूकता न होना, शैक्षिक रूप से कमजोर होना, आर्थिक समस्या युक्त होना एवं समाज की जटिलता को कम करने की स्थिति न होने से विभिन्न उपबन्धों का अनुपालन नहीं हो पाता है। गाँवों में आजभी अनुसूचित जातियों की स्थिति सामाजिक रूप से निम्न एवं दयनीय है। इसके लिए वास्तविकता के धरातल पर जन जागरूकता एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति चैतन्यता का विस्तार कर उन्हें मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है।

मूल शब्द :

अनुसूचित जातियाँ : इसके अन्तर्गत संविधान में सूचीबद्ध की गयी विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति माना गया है।

सामाजिक समावेशन : इससे आशय अनुसूचित जातियों को समाज के सभी वर्गो के साथ समान रूप से व्यवहार करने एवं समाज की मुख्यधारा में उन्मुक्त भाव से रहने एवं कार्य करने को सामाजिक समावेशन माना गया है।

संवैधानिक प्रावधान : इसके अन्तर्गत संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में अनुसूचित जातियों के हितलाभ हेतु किये गये प्रावधानों को लिया गया है।

भूमिका :

स्वाधीनता के पश्चात् देश में समतामूलक समाज की स्थापना एवं जातिगत विभेदों को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके इसके निदान हेतु संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित किये गये। स्वाधीनता के इतने वर्षों बाद भी उनकी विभिन्न निर्योग्यताएँ एवं समस्याएँ आज भी यत्र–तत्र दृष्टिगत होती हैं। यद्यपि संवैधानिक प्रावधानों के पर्याप्त बदलाव आया है। अनुसूचित जातियों को समान नागरिक संहिता के सभी अधिकार प्राप्त हैं फिर भी इनकी अनेक समस्याएँ सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विद्यमान हैं। ग्रामीणांचलों में रहने वाली अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न परिस्थितियाँ आज भी उनकी निम्न स्थिति को व्यक्त करती हैं। अनुसूचित जातियों की विभिन्न समस्याएँ निम्नवत हैं–

1. आर्थिक समस्याएँ :

वर्तमान में अर्थ की प्रधानता समाज के हर क्रिया कलाप में दृष्टिगत होती है। आज भी अनुसूचित जातियों को अनेक ऐसे व्यवसाय चुनने की मजबूरी होती है जिसमें उन्हें अपने मनोनुकूल

कार्य करने से रोका जाता है। इसमें अस्पृश्यता की भावना विभिन्न समुदायों के लोगों में उनके प्रति हेय का और उनकी निम्न आर्थिक दशा के कारण ये मनोनुकूल व्यवसाय नहीं चुन पाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों में अधिकांश लोग निर्धन एवं भूमिहीन हैं। अतः उन्हें कृषि श्रमिक के रूप में ऊँची जातियों के यहाँ कार्य करना पड़ता है। यद्यपि उन्हें स्वाधीनता के पूर्व जमींदारों के यहाँ बेगार के रूप में कार्य करना पड़ता था किन्तु संवैधानिक प्राविधानों द्वारा इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। यद्यपि इसकी यदा कदा घटनाएँ घटित होती रहती हैं। अनुसूचित जातियों को श्रम विभाजन में निम्न स्थान प्राप्त है अर्थात् उन्हें योग्य होने के बावजूद भी निम्न स्तर का कार्य प्रदान किया जाता है जिससे उनके मानसिक चिन्तन में कुण्ठा एवं निराशा की भावना उत्पन्न होती है।

2. सामाजिक समस्याएँ :

अनुसूचित जातियों का सामाजिक संस्तरण काफी न्यून है उन्हें समाज में सेवक वर्ग के अन्तर्गत रखा जाता है। उन्हें छुआ–छूत, भेदभाव एवं अन्य कई सामाजिक बन्धनों से जकड़कर रखा गया है। प्राचीन काल में तो उनकी छाया से भी परहेज किया जाता था किन्तु स्वाधीनता के बाद उन्हें विभिन्न सामाजिक अधिकार एवं समतामूलक व्यवस्था प्राप्त थी जिससे उनके प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आया किन्तु अद्यावधि भी उन्हें अनेक सामाजिक विसंगतियों से गुजरना पड़ता है। आज भी अनुसूचित जातियों को गाँव में किनारे एवं झुग्गी–झोपड़ियों के रूप में रहना पड़ता है उन्हें मुख्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागी नहीं बनाया जाता है।

3. शैक्षणिक समस्याएँ :

शैक्षिक चुनौतियाँ अनुसूचित जातियों के बालक–बालिकाओं के विभिन्न स्तरों पर सदैव से विद्यमान रही हैं। पहले तो उन्हें शैक्षिक अधिकार से वंचित किया गया था और वे पूर्ण अशिक्षित एवं असामाजिक जीवन जीने पर मजबूर थे किन्तु धीरे–धीरे उन्हें शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त होने लगा लेकिन आज भी इन जातियों में शिक्षा का प्रसार व इसके प्रति जागरूकता की कमी दृष्टिगत होती है। अशिक्षा और निर्धनता के कारण आज भी अनुसूचित जातियाँ शिक्षा की मुख्य धारा एवं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से दूर हैं।

4. धार्मिक समस्याएँ :

धार्मिक दृष्टिकोण से अनुसूचित जातियों को समाज में अत्यन्त हेय दृष्टि से देखा जाता है। स्वाधीनता के पूर्व उन्हें धार्मिक स्थलों पर जाने की पूर्ण पाबन्दी थी किसी भी तरह के पूजा–पाठ एवं कर्मकाण्ड का अधिकार नहीं प्राप्त था। यहाँ तक कि वे श्मशान घाटों एवं विभिन्न कर्मकाण्डों के भी लिए अयोग्य माने जाते थे। स्वाधीनता के पश्चात उन्हें यह अधिकार मिला के वे विभिन्न आयोजन एवं अनुष्ठान कर सकते हैं लेकिन आज भी पुरोहितों द्वारा उनके यहाँ कर्मकाण्डों कराने से परहेज किया जाता है।

5. भेदभाव की समस्या :

अनुसूचित जातियों के साथ भेद–भाव एवं इन जातियों में भी ऊँच–नीच की भावना एक गम्भीर चुनौती माना जाता है। आज भी अनुसूचित जातियों में छुआछूत, ऊँच–नीच, हरिजन–गिरिजन आदि अनेक विभेदक स्थितियाँ विद्यमान हैं। आज जातीय स्थिति में विभिन्न कर्मकाण्डों से जुड़ी जातियों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है जैसे– चमड़े का कार्य करने वाले जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की अन्य जातियाँ निम्न मानते हुए उनसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहती। इसी तरह अनेक ऐसी समस्याएँ उनमें भेदभाव की भावना एवं सामाजिक दूरी बढ़ाती हैं।

5. अन्तर्जातीय संघर्ष की भावना :

जाति व्यवस्था अपने जाति के प्रति स्वामी भाव एवं दूसरी जाति के प्रति द्वेष भाव की भावना को बढ़ाती है जिसमें लोग विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक आधारों पर एक दूसरे से मतभेद

रखते हैं तथा उनसे आपसी दूरी बनाकर रखते हैं। जातीय आधार पर अनुसूचित जातियों में ऊँच–नीच के भाव एवं अपनी जाति को सर्वोच्च माने हुए दूसरी जातियों के साथ विद्वेष एवं संघर्ष भाव होता है जो उनके सामाजिक समावेशन एक प्रमुख चुनौती बनता है।

6. शोषण की समस्या :

अनुसूचित जातियों की गरीबी, अशिक्षा एवं निम्न मनोदशाओं का लाभ उठाकर विभिन्न जातियों द्वारा उनपर जोर, जुल्म किया जाता है। यद्यपि अनेक कानूनों द्वारा इस तरह के कृत्यों पर रोक लगायी गयी है किन्तु आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनके प्रति मार–पीट, उत्पीड़न एवं शोषण की समस्या दृष्टिगत होती है। ग्रामीणांचलों में आज राजनैतिक एवं सामाजिक आधारों पर लोग इन जातियों के साथ भेदभाव एवं द्वितीयक व्यवहार करते हैं।

वर्तमान में विभिन्न प्रावधानों के द्वारा अनुसूचित जातियों की उक्त समस्याओं का निवारण करने के लिए सतत् प्रयास किया जा रहा है किन्तु आज भी उनके मनोभावों एवं समाज के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों के लिए निम्नलिखित संवधौनिक प्रावधान किये गये हैं–

1. अनुच्छेद 15 :

इस संवैधानिक अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंगस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई नागरिक दुकानें, होटल, पार्क व सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश से वंचित नहीं होगा तथा सभी लोगों के लिए उपयोग के लिए बने कुएँ, तालाब, सड़क, स्नानघाट तथा सार्वजनिक स्थानों की उपयोग में किसी भी निर्योग्यता प्रतिबंध या शर्त के आधीन नहीं होगा।

2. अनुच्छेद 16 :

राज्याधीन नौकरियों में नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी केवल जाति धर्म, मूलवंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपात्र या भेदभाव नहीं किया जायेगा।

3. अनुच्छेद 17 :

इसके द्वारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है तथा इसे आचरण निषिद्ध माना गया है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध व कानूनी रूप से दण्डनीय माना गया है।

4. अनुच्छेद 29 :

राज्य निधि द्वारा घोषित यह सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी नागरिक को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा।

5. अनुच्छेद 38 :

राज्य किसी ऐसे सामाजिक व्यवस्था को साधन के रूप में स्थापना या संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय व राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित किया गया हो।

6. अनुच्छेद 46 :

राज्य अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की शिक्षा तथा अर्द्धसम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व सप्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

इस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों के साथ–साथ विभिन्न कानूनों के द्वारा अनुसूचित जातियों के हितों एवं अधिकारों का संरक्षण किया गया है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्पश्यृता अपराध अधिनियम 1955 है जिसके द्वारा किसी भी नागरिक को किसी जातिगत, धार्मिक व अन्य आधारों पर वंचन से निषिद्ध किया गया है तथा प्रत्येक सार्वजनिक स्थलों पर समान रूप से अनुप्रयोग करने की छूट दी गयी है। अस्पृश्यता की शिकायत पर छः माह की सजा व 5000 रू0 जुर्बाना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान है।

नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1976 द्वारा अस्पृश्यता के साथ–साथ अनुसूचित जातियों की विभिन्न अधिकारों के संरक्षण एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक विधिक प्रयास है एवं इसके द्वारा समाज में एकीकरण व समावेशन के लिए विधिक तरीका अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत अस्पृश्यता व भेदभाव करने पर सजा के साथ–साथ उन्हें किसी राजनैतिक गतिविधि में सहभाग करने व चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने व उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने व उच्च मनोबल के साथ समाज की प्रत्येक गतिविधि में सहभाग करने के लिए अनेक अनुच्छेदों व राजनैतिक गतिविधियों में आरक्षण जैसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तथा उनके लिए अनेक ऐसे अधिनियम पारित किये जा रहे हैं जिससे उनके अन्दर से सामाजिक पिछड़ापन, मानसिक गुलामी, आर्थिक चुनौतियाँ, धार्मिक विभेद व सांस्कृतिक पिछड़ेपन की भावना को दूर किया जा सके। इसके लिए अनुसूचित जाति की सूचियों में भी यथा समय संशोधन किया जाता है तथा अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से उनकी समस्याओं का आकलन कर इसे दूर करने का प्रयास किया जाता है।

निष्कर्ष :

इस तरह अनुसूचित जातियों के विभिन्न चुनौतियों के होते हुए भी उन्हें संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनकी शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक समस्याओं को दूर करने हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं जिनके द्वारा अनुसूचित जातियों की स्थितियों में व्यापक बदलाव आया है। यद्यपि आज भी उनके सामाजिक समायोजन की स्थिति में अनेक रूकावटें दृष्टिगत होती हैं किन्तु इसके बावजूद उनकी सोच, उनकी कार्य प्रणाली, उनके व्यवहार, सामाजिक सहभागिता, उनके धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने एवं विभिन्न गतिविधियों के सम्पादन में उनकी भूमिका बढ़ी है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों में सामाजिक समावेशन की स्थिति संतोषप्रद दृष्टिगत होती है। उनमें जागरूकता के साथ–साथ अपने संवैधानिक हित लाभों के प्रति चैतन्यता आयी है वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का बेहतर लाभ उठा रहे हैं तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही राजनैतिक क्षेत्रों में विभिन्न लोकसभाओं, राज्यसभाओं एवं विधानसभाओं में दिये गये आरक्षण के फलस्वरूप जनप्रतिनिधित्व बढ़ने के नाते वे राजनीतिक रूप से भी जागरूक हुए हैं तथा अपनी जाति व उपजाति को आगे बढ़ाने व उनकी विभिन्न समस्याओं को संसद से लेकर वास्तविकता के धरातल तक उठाने का कार्य कर रहे हैं। यद्यपि इन सब गतिविधियों के कारण अनुसूचित जाति की स्थिति में सुधार एवं बदलाव आया है किन्तु आज भी छिटपुट ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं जो दलितों, शोषितों एवं वंचित वर्गों के लिए आम जनमानस की धारण को

व्यक्त करते हैं। वर्तमान में देश की सामाजिक समरसता एवं अखण्डता को मजबूती के साथ बनाये रखने के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु बनाये गये विभिन्न कानूनों एवं व्यवस्थाओं को लागू करने के साथ–साथ उनमें सकारात्मक मनोवृत्ति के विकास हेतु समाज के सभी वर्गों के लोगों को परस्पर मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1. शर्मा, पी0एन0 (2018) भारत में सामाजिक मुद्दे एवं समस्याएँ, भारत बुक सेण्टर, लखनऊ.
2. आहूजा, राम (2016) सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेषन, जयपुर.
3. सिंह, रामगोपाल (2010) सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्श, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर.
4. कश्यप, सुभाश (2006) भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली.
5. https//www.drishtiias.com.hindi
6. https//www.wikipedia.hindi.com